न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 2406/2017

उनवान

1– भैरुलाल पिता हरदेव रेगर निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
1/1 मनभर देवी पत्नि भैरुलाल रेगर, निवासी कानिया तह.हुरडा।
1/2 मुकेश पिता भैरुलाल रेगर , निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
1/3 रेखा पुत्री भैरुलाल रेगर , निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
1/4 सुमित्रा भैरुलाल रेगर , निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
1/5 पूजा पुत्री भैरुलाल रेगर , निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
1/6 किरन पुत्री भैरुलाल रेगर , निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
1/7 ज्योती भैरुलाल रेगर , निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
1/8 मतियॉ भैरुलाल रेगर , निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
2 श्रीमति जमनी पत्नि हरदेव रेगर, नि0 कानिया, तहसील हुरडा।

–वादीगण

बनाम

1– श्रीमति लाली पुत्री हरदेव रेगर, नि. कानिया तहसील हुरडा ।
2– श्रीमति समजी पत्नि शम्भू रेगर, नि. कानिया, तहसील हुरडा।
3– हेमराज पिता शम्भू रेगर, ना.बा.जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता समजी पत्नि शम्भू रेगर , निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
4– विक्रम पिता शम्भू रेगर, ना.बा.जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता समजी पत्नि शम्भू रेगर , निवासी कानिया, तहसील हुरडा ।
5– राजस्थान सरकार बजरिय तहसीलदार , तहसील हुरडा ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्रीमति निर्मला जैन वकील वादी ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एण्ड

–:निर्णय:–

दिनांक– 21.05.2018

1– वादीगण के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाके ग्राम कानिया तहसील हुरडा की आराजी जिसका खाता संख्या– नया 547 पुराना 772 की आराजी नम्बर– 1272/1 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा आराजीयात पैतृक सम्पति होकर हरदेव पिता कजोड रेगर के पिता के समय से चली आ रही है ।

2– परिवारिक सजरे की रुह से मृतक हरदेव वादी के पिता व वादी नम्बर– 02 के पति, प्रतिवादी नम्बर– 1 के पिता, प्रतिवादी नम्बर– 2 के श्वसूर, तथा प्रतिवादी नम्बर– 3 व 4 के दादा के नाम 1/3 हिस्से में बटंवारा प्रस्ताव के अनुसार प्रशासन आपके

Scanned by CamScanner

द्वार शिविर केम्प कानिया में कमांक 12–13 दिनांक 26.02.2005 नामान्तरकण संख्या– 1265 में हरदेव पिता कजोड के नाम 1/3 हिस्से में आराजीयात 01 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है लेकिन राजस्व एजेन्सी द्वारा जमाबन्दी में 01 बीघा 03 बिस्वा दर्ज किया हुआ है जिसे राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त किया जाकर 01 बीघा 03 बिस्वा के सथान पर 01 बीघा 18 बिस्वा किया जाना आवश्यक है ।

3– वाद पत्र में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी होने से एवं भू–अभिलेख अधिकारी होने से एवं राजस्व एजेन्सी द्वारा नामान्तकरण कार्यवाही विभाजन प्रविष्ट में इस गलती को सुधार किया जाना चाहिये था किन्तु ऐसा न किये जाने से ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे श्रीमान् न्यायालय के अन्तर्गत ही यह प्रविष्टि शुद्ध किये जाने योग्य है ।

4– तहसीलदार हुरडा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी होने से कारण पक्षकार कायम किया गया ।

5– हाल ही में हल्का पटवारी के पास जमीन के खाते की नकल की स्थिति की जानकारी होने से दिनांक 19.05.2017 को नकल प्राप्त करने की दिनांक से आज दिनांक तक निरन्तर जारी है ।

6– वाके ग्राम कानिया के आराजी जिसका खाता संख्या– नया 547 पुराना 772 की आराजी नम्बर– 1272/1 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा के स्थान पर 01 बीघा 18 बिस्वा में इन्द्राज शुद्ध किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 4 के रुप में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें । एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने का आदेश प्रदान करावें ।

7– प्रस्तुत वाद बाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे । सम्मन बाद सर्विस प्राप्त नही होने से प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी में नियत किया गया । वकील वादी ने यह जाहिर किया कि वादी संख्या– 1 भैरुलाल की मृत्यु हो चूकी है । उसके एल. आर. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहा ।

8– तत्पश्चात पत्रावली केम्प कोर्ट कानिया पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादी लाली , समजी उपस्थित हुये । वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम–3 जाप्ता दिवानी का मय सूची दस्तावेजा का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । उपस्थित प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर करने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश–22 नियम–3 जाप्ता दिवानी का स्वीकार किया जाकर वादी संख्या– 1 के स्थान पर मनभर देवी पत्नि भैरुलाल, मुकेश , रेखा, सुमित्रा, पूजा, किरण, ज्योति और मतिया पिता भैरुलाल रेगर निवासी कानिया को बतौर वादी संख्या–1 के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने

Scanned by CamScanner

के आदेश दिये जाते है । इसका अंकन लाल स्याही से वाद पत्र के शीर्षक से किया जावें ।

9– उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने पर उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अन्त में कथन किया कि आराजी नम्बर– 1272/1 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा के स्थान पर 01 बीघा 18 बिस्वा अंकित करवाया जावें । उपस्थित उभयपक्ष के द्वारा भी वकील वादी के कथनों की पृष्टि कर दावा वादी स्वीकार किया जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई ।

10 मैनें उपस्थित उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से है ।

11 वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 मौजा कानिया तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 1272/1 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि भैरु, शम्भू पिता हरदेव , लाली पुत्री हरदेव, जमनी बेवा हरदेव रेगर साकिन देह के नाम होना प्रकट आया है ।

12 यहाँ वादीगण का कथन है कि प्रशासन आपके द्वार शिविर केम्प में बंटवारा के अनुसार नामान्तकरण संख्या– 1265 हरदेव पिता कजोड के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज होकर रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा दर्ज किया गया किन्तु नामान्तकरण का अमल करते समय जमाबन्दी में रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा ही दर्ज किया गया जो दुरुस्त करवाया जावें । अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा नामान्तकरण संख्या– 1265 निर्णय दिनांक 26.02.2005 के अनुसार प्रशासन आपके द्वार शिविर केम्प खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन किया गया जिस अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1272/1 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि हरदेव पिता कजोड रेगर के नाम हक हिस्से में आना प्रकट आया है । उसके बाद उक्त नामान्तकरण संख्या– 1265 अमल करते वक्त हरदेव पिता कजोड रेगर के खाते में 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु सहवन से 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि ही दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । ऐसी स्थिति में वादीगण विभाजन के अनुसार रकबा दुरुस्त करवाने के अधिकारी पाये जाने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

–::निर्णय::–

दावा वादी डिकी जाकर मौजा कानिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1272/1 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा के स्थान पर रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावें । डिकी पर्चा मुर्तिब हो पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को केम्प कोर्ट कानिया पर सूनया गया ।

(नन्दकिशोर सजोरा)

Scanned by CamScanner